

# कार्यालय, नगर परिषद, बरबीघा

पत्रांक...120/

दिनांक...26-02-2022

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, बरबीघा ।

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी –सह– निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना ।

विषय:— नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter प्रकाशित किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 1966, दिनांक 23.11.2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि पथ विक्रेता (जीविकास संरक्षण और पथ विक्रेय विनियम) अधिसूचना, 2014 की धारा 26 के अनुपालन में नगर परिषद, बरबीघा अन्तर्गत Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter का प्रकाशन कर दिया गया है (प्रतिवेदन पत्र के साथ संलग्न)।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक:— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

*Jyoti*  
26/02/22  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद, बरबीघा

*26/02/2022*

## फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिरूचना 2014 की धारा 26 के अन्तर्गत नगर विक्रेता समिति, नगर परिषद, बरबीघा द्वारा पथ विक्रेता से संबंधित क्रियाकलापों का विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्र. सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु सम्पर्क किये जा सकते हैं
1	2	3	4	5	6	6
2	पंजीकरण	1. परिवार का फोटो 2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो 3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 4. मोबाईल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण	निःशुल्क	7 दिन	सामुदायिक संगठन/नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
3	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करन हेतु	1. SULM वेबसाईट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरण	निःशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
4	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वेबसाईट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरण	निःशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
5	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीकरण सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु 600/रु0	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
6	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा प्रमाण पत्र Duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज के आधार पर	50/रु0	7 दिन	नगर मिशन प्रबंधक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

*जय*  
26/2/22

नगर कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर परिषद, बरबीघा

*26/02/2022*